प्रेस नोट 04.05.19

1.दिनांक 03.05.19 को वादी श्री सुग्रीव पुत्र राम शब्द निवासी राजेपुर थाना महराजगंज, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राम सिधार पुत्र भगौती निवासी राजेपुर थाना महराजगज, अयोध्या आदि 04 नफर अभि0गण द्वारा वादी की गेहूँ की फसल काटकर नुकसान करना पूछने पर गाली व जान माल की धमकी देना। जिसके सम्बन्ध में थाना महराजगंज में मु0अ0सं0 163/19 धारा 427, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

2.दिनांक 03.05.19 को वादी व0उ0नि0 श्री सर्वेन्द्र अस्थाना थाना रौनाही, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अमरेश कोरी पुत्र मेढ़ीलाल निवासी कस्बा सोहावल थाना रौनाही, अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 21 ग्राम मारफीन नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना रौनाही में मु0अ0सं0 197/19 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

3.दिनांक 03.05.19 को वादी श्री बबलू प्रजापति पुत्र शिव प्रसाद निवासी जलालपुर माफी थाना को0बीकापुर, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि मोटर साइकिल सवार 03 अज्ञात व्यक्ति ओवर टेक करने की बात को`लेकर मो0सा0 सवार 3 अज्ञात व्यक्तियो द्वारा वादी को मारना पीटना, गाली व धमकी देना। जिसके सम्बन्ध में थाना को0बीकापुर में मु0अ0सं0 270/19 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

4.दिनांक 03.05.19 को वादी श्री राहुल कुमार पुत्र भोलाराम निवासी सराय भनौली थाना को0बीकापुर, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि रमेश कुमार पुत्र राम देव निवासी सराय भनौली थाना को0बीकापुर, अयोध्या आदि 02 नफर वादी के घर के ऊपर से बिजली का तार खीचने से मना करने पर अभि0गण द्वारा धारदार हथियार से मारना व धमकी देना। जिसके सम्बन्ध में थाना को0बीकापुर में मु0अ0सं0 272/19 धारा 324, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

5.दिनांक 03.05.19 को वादी श्री परशुराम पाठक पुत्र राम दुलार निवासी पछियाना दुल्लहपुर थाना हैदरगंज, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अजय कुमार यादव पुत्र राम कुमार निवासी पछियाना दुल्लहपुर थाना हैदरगंज, अयोध्या अभियुक्त द्वारा वादी के गेहूँ की फसल जलाकर नष्ट कर देना। जिसके सम्बन्ध में थाना हैदरगंज में मु0अ0सं0 116/19 धारा 435 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

6.दिनांक 03.05.19 को वादी उ0नि0 श्री राजेश कुमार थाना कुमारगंज, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि खुशीराम पुत्र विश्वनाथ निवासी सुरती का पुरवा मजरे देवगांव थाना कुमारगंज, अयोध्या अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना कुमारगंज में मु0अ0सं0 99/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया ।